

कार्यालय जिला पंचायत, बस्तर जिला, जगदलपुर (छ.ग.)

विज्ञापन

कमांक/ 2218 / जिप/स्था/ 2026

जगदलपुर, दिनांक 08 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र कमांक/ESTB/27560/2026-P&RD नवा रायपुर दिनांक 05/08/2026 एवं कार्यालय आयुक्त, विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विकास भवन नवा रायपुर के पत्र कमांक/1/566646/2026 वि-7/स्था./ VB-G RAM G नवा रायपुर दिनांक 06-08-2026 एवं पत्र कमांक/1/608889/2026 वि-7/स्था./ VB-G RAM G नवा रायपुर दिनांक 31-08-2026 में दिये गये निर्देशानुसार विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) में स्वीकृत पद के विरुद्ध जिला बस्तर, जगदलपुर के अधिनस्थ जिला/जनपद पंचायतों में रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से दिनांक 30 अक्टूबर, 2026 को 05.30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। बस्तर जिले के लिये विज्ञापित (संविदा) रिक्त पदों का विवरण:-

क	संविदा पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					महायोग				
			मुक्त	महि.	विक.	मु.सौ.	योग	मुक्त	महि.	विक.	मु.सौ.	योग	मुक्त	महि.	विक.	मु.सौ.	योग	मुक्त	महि.	विक.	मु.सौ.	योग	मुक्त	महि.	विक.	मु.सौ.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	कार्यक्रम अधिकारी (संविदा)	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2
2	सहायक प्रोग्रामर (संविदा)	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	1	-	4
3	लेखापाल (संविदा)	10	1	1	-	-	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	1	1	6	5	3	1	1	10
	योग	16	3	1	-	-	4	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	4	1	3	1	9	9	3	3	1	16

आयु :-

आयु 01.01.2026 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा के लिये छोगो शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश इन नियुक्तियों के लिये भी लागू होंगी

शैक्षणिक योग्यता एवं एक मुश्त मासिक वेतन:-

क्र	पदनाम	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता	मेरिट हेतु निर्धारित अंक	एक मुश्त वेतन
			विवरण	अंक
1	कार्यक्रम अधिकारी	प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए./बीई./MTRM (Master of Rural Technology and Management)/गणित/भौतिक विषय में स्नातकोत्तर	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुये कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का Weightage देते हुये शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पद कार्य अनुभव:- न्यूनतम 01 से 02 वर्ष तक का अनुभव 05 वर्ष तक का अनुभव 05 वर्ष से अधिक का अनुभव	70 15 39875/- 5 10 15
2	सहायक प्रोग्रामर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी) एम.सी.ए. या समकक्ष उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक या समकक्ष उपाधि।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुये कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य) 100 अंकों का Weightage देते हुये शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पद कार्य अनुभव:- न्यूनतम 01 से 02 वर्ष तक का अनुभव 05 वर्ष तक का अनुभव 05 वर्ष से अधिक का अनुभव	45 40 35165/- 5 10 15
3	लेखापाल	55 प्रतिशत में बी.कॉम (अजजा एवं अजा हेतु 50 प्रतिशत में बी.कॉम) (बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिये द्वितीय श्रेणी में बी.कॉम उत्तीर्ण)	हायर सेकेंड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुये कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पद कार्य अनुभव:- न्यूनतम 01 से 02 वर्ष तक का अनुभव 05 वर्ष तक का अनुभव 05 वर्ष से अधिक का अनुभव	20 50 15 23350/- 5 10 15

नियम एवं शर्तें:-

1. एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जायेगी।
3. चूंकि उपरोक्त दर्शित पद मैदानी कार्यालय के लिये हैं, अतः 100 प्रतिशत दिव्यांगता मान्य नहीं होगा। उपरोक्त दिव्यांगता पदों हेतु दर्शित प्रवर्ग के उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में उसी प्रवर्ग से अन्य दिव्यांग को वरीयता के आधार पर पदों की पूर्ति की जावेगी।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
5. समस्त प्रमाण-पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
6. अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पद कार्य अनुभव ही मान्य किये जायेंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे। अनुभव का लाभ लेने हेतु नियुक्ति आदेश संलग्न किया जाना अनुभव अंक प्रदान के संबंध में कम से कम समान पद समान वेतनमान पर कार्य अनुभव का ही अंक प्रदान किया जावेगा, अन्यथा की स्थिति में अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।
7. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
8. शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।
9. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
10. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उक्त संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
11. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
12. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
13. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
14. पदों की संख्या में परिवर्तनीय है एवं यह नियुक्ति 28 फरवरी 2027 तक के लिये होगी।
15. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
16. संविदा-नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
17. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक- 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
18. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
19. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
20. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
21. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
22. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति को होगा।
23. आवेदन पत्र के साथ 9X4" साईज का दो लिफाफे जिसमें प्रत्येक के लिए 40-40 रुपये का डाक टिकट सहित आवेदक का वर्तमान पता लिखा हुआ हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
24. निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरान्त अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति के लिए जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा तदुपरान्त पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1:10 के मान से लिखित/कौशल परीक्षा के लिए बुलावा पत्र प्रेषित किया जावेगा।
25. उक्त विज्ञापन/नियुक्ति आरक्षण के संबंध में मान0 उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटिशन के अध्याधीन रहेगा, एवं उक्ताशय के संबंध में पारित आदेश नियुक्त उम्मीदवारों पर बंधनकारी रहेगा।
आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय पर जिला पंचायत बस्तर के सूचना पटल पर या www.bastar.gov.in पर देखी जा सकती है।
(कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बस्तर

कार्यालय जिला पंचायत बस्तर जिला जगदलपुर
के लिये विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण)
(VB-G RAM G) हेतु आवेदन वर्ष 2026-27

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बस्तर
जगदलपुर

आवेदक नवीनतम
पासपोर्ट फोटो
चस्पा करें।

आवेदित पद का नाम :-

- 1 आवेदक का पूरा नाम :
- 2 पिता/पति का नाम :
- 3 जाति :लिंग :- महिला/पुरुष.....
(अनाथ/अपिब/अजा/अजजा)
- 4 जन्म तिथि :/...../.....
- 5 दिनांक 01/01/2026 को आयु : दिन...../माह...../वर्ष.....
- 6 क्या आप विकलांग हैं। यदि हाँ तो : हाँ/नहीं (.....) प्रकार (.....) प्रतिशत (.....)
विकलांगता का प्रकार (अंध एवं निम्न
दृष्टि/बधिर और श्रवण शक्ति में हास
/बधिर) एवं प्रतिशत लिखें।
- 7 आवेदक का वर्तमान पता (निवास प्रमाण :
पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।) :
- 8 आवेदक का स्थायी पता ((निवास प्रमाण :
पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।) :
- 9 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन :
प्रमाण पत्र :
- 10 शैक्षणिक योग्यता:-

क्र०	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि०वि० का नाम	वर्ष	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

11 क्या आवेदक भू0सैनिक है? हॉ/नही :
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति
संलग्न करें।

12 क्या दो से अधिक जीवित संतान है? जीवित संतान की संख्या (.....)
हॉ/नही जन्म तिथि 1-(.....) 2-(.....) 3-(.....)

13 अनुभव:- शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पद कार्य अनुभव:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पद का नाम	अवधि (कब से कब तक)

टीप:- यदि वर्तमान में कॉलम नं 13 में दर्शित पदों पर कार्यरत है, तो नियुक्तकर्ता अधिकारी का अनापत्ति
प्रमाण पत्र एवं अनुभव का लाभ लेने के लिये नियुक्ति आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित "न-मांग, न-जांच" प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त
प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	

(कुल सहपत्रों की संख्या)

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

// घोषणा //

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है। यदि उपर्युक्त
विवरण का कोई अंश असत्य पाया जाता है तो नियुक्ति के पश्चात् भी सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे सेवा समाप्त
किये जाने अथवा किसी भी दण्ड जो वह उचित समझे के लिये मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर